

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड
(एसपीएमसीआईएल की इकाई)
कार्यालय आदेश
OFFICE ORDER

संख्या:46/EST-28-130

दिनांक :15.05.2024

विषय : कार्यस्थल (भा.प्र.मु.) पर महिला यौन उत्पीडन (रोकथाम, निषेध और निवारण)
अधिनियम 2013 के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) का गठन ।

संदर्भ: 1) कार्यालय आदेश सं.108-A/स्था/28-130 दि. 20-7-2023.
2) कार्यालय आदेश सं.38/स्था/28-130 दि. 6-5-2024.

पोश अधिनियम 2013, अनुच्छेद 21 (1) एवं पोश नियमों के अंतर्गत सांविधिक अनुपालन के अनुसार, भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में ऊपर संदर्भित कार्यालय आदेशों के तहत कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन की शिकायत से संबंधित एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) गठित की गई है जिनके सदस्यों का विवरण, ईमेल आईडी एवं संपर्क नंबर सुलभ संदर्भ के लिए निम्नानुसार है :-

As per Statutory compliance under POSH Act, 2013, Section 21(1) and POSH Rules the Internal Complaint Committee (ICC) has been constituted at India Security Press for dealing complaints of Sexual Harassment of Women at workplace vide above referred orders, the details of Members along with Email IDs & Contact numbers is given below for ready reference:


क्र सं	नाम एवं पदनाम Name & Designation	स्तर Level	संपर्क Contact
1	श्रीमती गुंजन सिंगला, प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) Mrs. Gunjan Singla, Manager (F&A)	पीठासीन अधिकारी Presiding Officer	फोन - 0253-2402220 ई मेल - gunjan.singla@spmCIL.com
2	श्रीमती रश्मि जे. मजूमदार, एडवोकेट, (एनजीओ) Mrs. Rashmi J. Majumdar, Advocate, (NGO)	सदस्य Member	फोन - 9049323212 ई मेल - advrashmijape@gmail.com
3	श्रीमती मीनाक्षी जे. गाडेकर, प्रबंधक (पीएमएस) Mrs.Minaxi J. Gadekar, Manager (PMS)	सदस्य Member	फोन - 0253-2405025 ई मेल - M.gadekar@spmCIL.com
4	श्रीमती सुप्रिया. एस. पी. पर्यवेक्षक (तक प्रचा) Mrs. Suprija S.P. Supervisor (TO)	सदस्य Member	फोन - 0253-2402271 ई मेल - ppwarrantisp@spmCIL.com
5	श्री. विनसेंट ओहल, वरिष्ठ पर्यवेक्षक (मा.सं) Mr.Vincent Ohal Sr. Supervisor (HR)	सदस्य Member	फोन - 0253-2402281 ई मेल - hr.training@spmCIL.com

तदनुसार, पोश अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार, आंतरिक शिकायत समिति (आई.सी.सी.) कार्य स्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीडन की सभी शिकायतों का निपटान करेगी ।

Accordingly, the Internal Complaint Committee (ICC) will deal all complaints of Sexual Harassment of Women Employees at workplace as per the provisions of the POSH Act, 2013.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

This issues with the approval of the Competent Authority.


(अर्पित धवन) 15/05/24

प्रबंधक एवं विभाग प्रमुख (मा. सं)

प्रति: 1) सभी संबंधित ।

2) सभी कर्मचारी /सभी सूचना बोर्ड ।

3) प्रबंधक (सूप्रौ) - अनुरोध है कि इसे आईएसपी की वेबसाइट पर अपलोड करें ।